छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद भवन" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

कंपनी/स्था./2016/100 रायपुर, दिनांक 06/05/16.....

//विज्ञापन//

विभाग के ऑनलाईन लेखा संबंधी कार्यों के लिए प्रदेश के समस्त जिला कार्यालय एवं निगम मुख्यालय रायपुर हेतु लेखाकर्ष में दक्ष मानव संसाधन-30 व्यक्तियों को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लिया जाना है। इस हेतु अर्हता/योग्यता न्यूनतम बी.कॉम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण एवं शासन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एक वर्ष का कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाईन लेखा संबंधी कार्य का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

इच्छुक प्लेसमेंट एजेंसियां दिनांक 06.06.2016 तक सायं 4.00 बजे तक अपना ऑफर प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विवरण हेतु कार्यालय में सम्पर्क करें।

विज्ञापन www.cgstate.gov.in वेबसाइट पर भी प्रकाशित है।

पांडे

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"नियाद भवन" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

फोन नं0 0771–4225182 फैक्स 0771–4066214 E-mail Id- nanhaadoffice@yahoo.in

क्रमांक/स्था./2016/ रायपुर, दिनांक .....

//विज्ञापन//

<u>लेखाकार्य में दक्ष मानव संसाधन व्यक्तियों की आवश्यकता हेतु निम्नानुसार</u>

<u>नियम/शर्तें लागू रहेंगी</u> :-

1. सेवा प्रदाता द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों पर लेखाकार्य हेतु 30 व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। मानव संसाधन की संख्या में बढ़ोतरी या कमी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा की जा सकती है।
2. प्रथमतः बिन्दु कमांक-1 में उपलब्ध कराये जा रहे मानव संसाधन की सेवाएं एक वर्ष के लिए होगी, जिसे समान शर्तों पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
3. निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराये जा रहे मानव संसाधन की किसी भी कारण से हो रही अनुपस्थिति पर सेवा प्रदाता का दायित्व होगा कि वह अर्हता के अनुरूप वैकल्पिक रूप से मानव संसाधन उपलब्ध करायेगा।
4. सेवा प्रदाता द्वारा कार्यरत सेवकों की पी.एफ., ई.एस.आई.सी., सर्विस टैक्स/आयकर आदि के पालन की जिम्मेदारी रहेगी।
5. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा।
6. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दरों में मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने के अंतर्गत लागू सभी नियमों का पालन किया जायेगा तथा इन पर होने वाले व्यय के आधार पर ही सेवा प्रदाता द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की जायेगी।
7. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय मानव संसाधन की शासन द्वारा समान लेखा कार्य के लिए देय दरें देना बाध्यकारी होगा।
8. सेवा प्रदाता की सेवाएं एक माह के अग्रिम सूचना पर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु कोई क्षतिपूर्ति मान्य नहीं की जावेगी।
9. बिना कारण बताए निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
10. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय किये जाने वाले व्यक्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे।

वास्ते/-

प्रबंध संचालक